न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
232 / 24	26.09.2024	13.01.2025

उनवान

1. जाकर पुत्र अब्दुल रहीम।
2. सद्दाम पुत्र अब्दुल रहीम।
3. मकसूदन पुत्री अब्दुल रहीम।
4. धोली पुत्री अब्दुल रहीम।
5. फरमीना पुत्री अब्दुल रहीम।
6. जुहरू
7. आमीना (आसीना)
8. अजमेरी
9. रहीस
10. हसनदीन
11. रहमान पुत्रान मटरू।
12. मुहर खां
13. नूरदीन
14. मोहम्मद
15. रमजान पुत्रान दलपत।
16. जमील
17. छुटल्ली
18. मजहर
19. पप्पू पुत्रान दीनमोहम्मद पौत्रान दलपत।
20. रहमदीन पुत्र सुबेदार।
21. समसु
22. मुबारिक पुत्रान अब्दुल पौत्रान सुबेदार।
23. सायरा पुत्री अब्दुल पौत्री सुबेदार।
24. अनीस खां पुत्र सुभानदीन।
25. इमाम दीन पुत्र सुभानदीन।
26. सहकुल पुत्र सुभानदीन।
27. जमालुदीन पुत्र सुभानदीन।
28. इदरीस खां पुत्र सुभानदीन।
29. अनीसा पुत्री सुभानदीन।
30. बिसमिल्ला पुत्री सुभानदीन।
31. जैकम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

32.अतामोहम्मद
33.मुश्ताक खां
34.मुद्दीन खां
35.कुतुबद्दीन पुत्रान रोशन।
36.आरिफ खां
37.फारूख
38.जेद खां
39.रफीक खां
40.इमाम खं पुत्रान उमरमोहम्मद।
41.सुम्मैया
42.जायदा
43.जमरत
44.फातमा पुत्रीयान उमरमोहम्मद।
45.आसमोहम्मद
46.कुरसैद पुत्रान नसीब खां।
47.बशीर
48.असरू पुत्रान छोटा।
49.कुरसैद पुत्र नसरो।
50.मैमूना पुत्री नसरो जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास, भूमिधारी (पैरोकार सरकार) तहसील किशनगढबास जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
जेर दफा 88,89 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादीगण की ओर श्री राजेश कुमार शर्मा वकील।
प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार एवं मौका रिपोर्ट।

निर्णय

दावा वादीगण निम्न प्रकार से पेश किया गया हैः–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चौडावता तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी खसरा नं0 188 रकबा 0.06बिस्वा, 189 रकबा 0.07बिस्वा, 190 रकबा 0.07बिस्वा, 191 रकबा 0.16बिस्वा, 192 रकबा 0.07बिस्वा, 197 रकबा 1.02बीघा, 198 रकबा 0.04बिस्वा, 199 रकबा 0.04बिस्वा, 200 रकबा 0.04बिस्वा, 201 रकबा 0.04बिस्वा, 202 रकबा 0.11बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 4.12 बीघा मिन वादीगण तथा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

उनके पूर्वजों की शामलात खातेदारी कब्जा काश्त की पैत्रिक आराजी है। जिस पर सदैव से वादीगण के पिता पूर्वज बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। जो आराजी वाद वादीगण में विवादित आराजी कहलावेगी। नकल जमाबंदी सं0 2076–2079 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नं0 138 रकबा 4–12 बीघा वाके चौडावता से कायम किए गये है। वास्ते मुलाहिजा मिलान क्षेत्रफल संलग्न वादपत्र किया जा रहा है।

विवादित आराजीयात की जमाबंदी सं0 2014–2018 के खाता संख्या 132 में भोंदू, मटरू, दलपत, सुब्बत, नवाज यखां, बहादर, छोटा, नजरखां समभाग हिस्सेदारान खातेदारान अंकित है। अर्थात किसी भी खातेदार की वल्दीयत अंकित नही करके समभाग के खातेदारान अंकित करते हुए जमाबंदी कायम की हुई है किन्तु आगामी चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता संख्या 75 में भोंदू, मटरू, दलपत पि0 गाहड, नवाज खां, बहादर, छोटा पि0 धोला, नजर खां पुत्र छुट्टा, सुब्बत पुत्र गूंगा समभाग मेव सा0देह खातेदारान ख0नं0 138 रकबा 4–12 बीघा पर अंकित है। चूंकि भोंदू व नवाज खां फौत हो चुके थे, जिनका नाम काटा हुआ है। इसी कदर आगामी जमाबंदी संवत् 2022 के खाता संख्या 74 कायम करते वक्त साबिक ख0नं0 138 रकबा 4–12 बीघा पर मटरू, दलपत पि0 गाहड, बहादुर, छोटा पि0 धोला, नजर खां पि0 छुट्टा, सुब्बत पुत्र गूंगा समभाग मेव सा0देह खातेदारान अंकित किया हुआ है। अर्थात् मुतनाजा के चार समान भाग हिस्सेदारान अंकित है। जिसे चारों हिस्सेदारान 1/4–1/4 भाग में काश्त करते रहे है और आज भी समान भाग में अर्से दराज से जोत बहा काश्त कर रहे है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी संवत् 2014, 2018 व 2022 संलग्न वाद पत्र की जा रही है।

विवादित आराजी को वादीगण के पूर्वजों ने चार समान भागों में बांट कर काश्त करते चले आ रहे थे जिनके नाम का अंकन जमाबंदी संवत् 2018 व 2022 में सही प्रकार से अंकित हो रहा है किन्तु वक्त सेटलमेन्ट संवत् 2029 में साबिक खसरा नं0 138 के जो नवीन खसरा नं0 11 कायम किये गये उसमें खिलाफ कानून बिना पुरानी जमाबंदी को देखे बिना भोंदू, मटरू, दलपत, सुब्बा, नवाजखां समभाग हिस्सेदार खातेदार बिना वल्दीयत व बिना हिस्सेजात अंकित करते हुए कायम कर दी। जबकि खातेदार भोन्दू व नवाज पूर्व में बिला औरत निःसंतान फौत हो चुके थे जिनके नाम पुनः जमाबंदी संवत् 2029 करते हुए गलत प्रकार से कायम कर दी और जमाबंदी संवत् 2029 के आधार पर ही चौसाला जमाबंदी संवत् 2035 व संवत् 2039 भी गलत प्रकार से कायम कर दी और गाहड मृतक का इन्तकाल भी गलत प्रकार से दर्ज वो मंजूर कर दिया गया। जबकि आज दिन भी वादीगण विवादित आराजीयात को समभाग 1/4–1/4 भाग में काश्त कर रहे है।

मिन वादीगण सं0 1 लगा0 5 के दादा सुब्बत को हाल जमाबंदी में सुब्बा पुत्र गाहड अंकित किया हुआ है जबकि हमारे दादा का नाम वास्तविक रूप से सुब्बत पुत्र गूंगा था जिसकी बाबत न्यायालय एसडीओ साहब किशनगढबास के मु0नं0 137/2021 निर्णय दिनांक 12.12.2023 की कॉपी संलग्न है। मौजूदा जमाबंदी में दर्ज खातेदार मन्नी बेवा

खण्ड अधिकारी
(खैरथल–तिजारा)

सुबेदार तथा रहीमी बेवा नसीबखां फौत हो चुकी है। जिनके वादीगण कानूनी वारिसान है। दीगर कोई वारिस नही है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मौजूदा जमाबंदीयात में वादीगण के हिस्सेजात कम बेसी जमाबंदीयात सं0 2029, 2035, 2039 के आधार पर दर्ज चले आ रहे है। खातेदार हसन मोहम्मद पुत्र गाहड नामक कोई व्यक्ति गांव में ना पहले था, ना आज ही है। जिसे गलत अंकित किया हुआ है। ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात का खाता बाद दुरूस्ती मुताबिक प्रार्थना वादपत्र वादीगण दुरूस्त फरमाया जाकर खातेदार अंकित कराया जाना न्यायोचित है।

मुताबिक जमाबंदी सं0 2018 व 2022 व दर्ज दावा शजरा परिवार के वादीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक सुब्बत के पौत्र व मृतक अब्दुल रहीम के वारिसान का 1/4 भाग तथा मृतक गाहड, मृतक दलपत, मृतक मटरू के वारिसान वादीगण 6 लगायत 19 का 1/4 हि0 तथा मृतक धोला, मृतक छोटा, मृतक बहादर व मृतक नवाज खां के वारिसान वादीगण संख्या 47 लगायत 50 का 1/4 हिस्सा तथा मृतक नजर खां पुत्र छुट्टा, मृतक सुबेदार व मृतक नसीब खां के वारिसान वादीगण संख्या 20 लगायत 46 का मुताबिक शजरा 1/4 भाग है और इसी कदर आज दिन वादीगण काबिज है। अतः बाद दुरूस्ती वादीगण को खातेदार दर्ज कराया जावें। अतः दावा इश्तकरारहक पेश है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:—

अ— डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर वादीगण को मुताबिक जमाबंदी संवत् 2018 व 2022 व वादीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक सुब्बत के पौत्र व मृतक अब्दुल रहीम के वारिसान का 1/4 भाग तथा मृतक गाहड, मृतक दलपत, मृतक मटरू के वारिसान वादीगण 6 लगायत 19 का 1/4 हि0 तथा मृतक धोला, मृतक छोटा, मृतक बहादर व मृतक नवाज खां के वारिसान वादीगण संख्या 47 लगायत 50 का 1/4 हिस्सा तथा मृतक नजर खां पुत्र छुट्टा, मृतक सुबेदार व मृतक नसीब खां के वारिसान वादीगण संख्या 20 लगायत 46 का 1/4 हिस्सा विवादित हाल आराजी ख0नं0 188 रकबा 0.06बिस्वा, 189 रकबा 0.07बिस्वा, 190 रकबा 0.07बिस्वा, 191 रकबा 0.16बिस्वा, 192 रकबा 0.07बिस्वा, 197 रकबा 1.02बीघा, 198 रकबा 0.04बिस्वा, 199 रकबा 0.04बिस्वा, 200 रकबा 0.04बिस्वा, 201 रकबा 0.04बिस्वा, 202 रकबा 0.11बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 4.12 बीघा जिसके साबिक खसरा नं0 138 रकबा 4—12 बीघा वाके ग्राम चौडावता समभाग 1/4—1/4 हिस्सा पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मौजूदा अंकन जमाबंदीयात हजफ फरमाया जाकर दुरूस्ती फरमायी जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज कराया जावें तथा बैंक रहन का अंकन यथावत् रखा जावें।

ब— खर्चा मुकदमा का वादीगण को दिलाया जावें। दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझें। अता फरमायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल—तिजारा)

दावा वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा बिन्दुवार जवाब मय पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट तलब गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई।

वादी सं0 1 ने अपने वाद की पुष्टि में बतौर गवाह स्वयं का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1, कुरसैद खां पीडब्ल्यू–2, असरूदीन पीडब्ल्यू–3, रहमदीन पीडब्ल्यू–4, मुहर खां पीडब्ल्यू–5, नूरदीन पीडब्ल्यू–6, समसु पुत्र अब्दुल पौत्र सुबेदार पीडब्ल्यू–7, बशीर पुत्र छोटा खां पीडब्ल्यू–8 शपथ–पत्र पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी हाल सं0 2076–79 1 लगा0 2, प्रदर्श–2 व 3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 खतौनी जमा0 सैटेलमेन्ट सं0 2029, प्रदर्श–5 जमाबंदी सं0 2029–48, प्रदर्श–6 जमाबंदी सं0 2038, प्रदर्श–7 नामान्तरण सं0 13, प्रदर्श–8 जमा0 सं0 2014–18, प्रदर्श–9 जमा0सं 2014–18, प्रदर्श–10 जमाबंदी सं0 2018–22, प्रदर्श–11 जमा0सं0 2022–26, प्रदर्श–12 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श–13 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श–14 डिक्री निर्णय दि0 12.12.2022, प्रदर्श–15 जमा0सं0 2038, प्रदर्श–16 जमा0सं0 2034, प्रदर्श–17 जमा0सं0 2044, प्रदर्श–18 जमा0सं0 2044, प्रदर्श–19 जमा0सं0 2048, प्रदर्श–20 जमा0सं0 2052, प्रदर्श–21 जमा0सं0 2056, प्रदर्श–22 जमा0सं0 2060–63, प्रदर्श–23 जवाब सरकार, प्रदर्श–24 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श–25 दैनिक डायरी 1 लगा0 3 पेश किये है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील वादी वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी वादीगण की पैतृक कब्जे काश्त की आराजी है तथा अपने बुजुर्गान की फौतदगी के पश्चात् वादीगण अपनी पैतृक आराजी पर कब्जे काश्त चले आ रहे है। अतः हाल जमाबंदी में गलत अंकन को हजफ कर वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार दर्ज कराया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योंपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल मुताबिक विवादित आराजी के साबिक ख0न0 के हाल ख0न0 निम्न प्रकार से बने हैः–

हाल ख0न0 रकबा	साबिक ख0न0 रकबा
188 रकबा 0.08 हे0	138 मिन रकबा 0.08 हे0
189 रकबा 0.09 हे0	138 मिन रकबा 0.09हे0
190 रकबा 0.09हे0	138 मिन रकबा 0.09हे0
191 रकबा 0.20हे0	138 मिन रकबा 0.20हे0
192 रकबा 0.09हे0	138 मिन रकबा 0.09हे0
197 रकबा 0.28 हे0	138 मिन रकबा 0.28हे0
198 रकबा 0.05 हे0	138 मिन रकबा 0.05हे0
199 रकबा 0.05हे0	138 मिन रकबा 0.05हे0
200 रकबा 0.05 हे0	138 मिन रकबा 0.05हे0
201 रकबा 0.05 हे0	138 मिन रकबा 0.05हे0

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (किशनगढ़बास–तिजारा)

202 रकबा 0.15 हे0 138 मिन रकबा 0.15हे0

नकल जमाबंदी संवत 2014 –18 जो प्रदर्श–9, 10 है के खाता सं0 132 में भोंदू, मटरू, दलपत ,सुब्बत, नवाज खां बहादर छोटा, नजरखां समभाग हिस्सेदारान खातेदार अंकित है लेकिन वादीगण के किसी भी खातेदार (पूर्वज) की वल्दियत अंकित नही करके समभाग अंकित किया हुआ है। जबकि जमाबंदी संवत 2018 से 2021 जो प्रदर्श–11 है के खाता सं0 75 में वादीगण के पूर्वजो की वल्दियत दर्ज की हुई है जिसमें भोंदू, मटरू, दलपत पि0 गाहड, नवाज खा, बहादर, छोटा पुत्र धोला, नजर खां पुत्र छुटटा, सुब्बत पुत्र गुंगा समभाग मेव सा0देह खातेदार ख0न0 138 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा अंकित किया हुआ है जमाबंदी संवत 2018 में भोन्दु व नवाजखां का नाम काटा जाकर शेष खातेदारान का नाम मय वल्दियत अंकन है परंतु इसके बाद की चौसाला कायम करते समय जमाबंदी संवत 2029 जो प्रदर्श– 5 में साबिक ख0न0 138 के जो नवीन ख0न0 ख0नं0 188, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 202 कुल किता 11 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये उसमें साबिक रिकार्ड संवत 2018–2022 के अनुसार अमल ना करते हुए भोन्दु व नवाजखां पूर्व में काटे जा चुके थे और फोत होने का अमल साबिक रिकार्ड(जमाबंदीयात सं0 2022) में अमल हो चुका था लेकिन पुनः जमाबदी संवत 2029 में दोनो का नाम अंकित करते हुए एवं अन्य सहखातेदारो का नाम बिना वल्दियत समभाग हिस्सा दर्ज ना करते हुए कायम की गई है जिसमें विरासत एवं वल्दियत अनुसार प्राप्त दर्ज किया जाने वाला हिस्सा गलत दर्ज हो गया है। जमाबंदी संवत 2029 के अनुसार ही 2035 से 2039 व हाल राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन चला आ रहा है। वाद में अंकित सजरा एवं पटवारी हल्का की दैनिक डायरी में अंकित सजरा के मिलान एवं न्यायलय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के निर्णय दिनांक 12.12.22 में सुब्बन पुत्र गुगां की वल्दियत को दुरूस्ती के आदेश से वादीगण के वारिसान का सही दर्ज होना पाया गया है तथा दैनिक डायरी एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से विवादित आराजी पर पक्षकारान का कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट होती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि साबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2018–22 में अंकित वादीगणो के पूर्वजो सुब्बत, गाहड, धौला, छुटटा का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में समभाग 1/4 –1/4 होना चाहिए था लेंकिन सैंटलमेंट द्वारा जमांबदी कायम करते समय साबिक रिकार्ड संवत 2018–2022 के अनुसार वल्दियत दर्ज ना करते हुए मुताबिक जमाबंदी संवत 2014 के अनुसार ही वादीगण के पूर्वजो का जमाबंदी संवत 2029 से हाल जमाबंदी संवत 2076 तक हो रहा है जिस गलत अंकन बाबत वादीगण ने सशपथ वाद पेश किया है जो राजस्व रिकार्ड, हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं दैनिक डायरी से बाखूबी साबित होता कि विवादित आराजी के वारिसान सजरे अनुसार वादीगण है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित गलत अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन हिस्सेनुसार खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (कैरथल–तिजारा)

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0नं0 188 रकबा 0.06बिस्वा, 189 रकबा 0.07बिस्वा, 190 रकबा 0.07बिस्वा, 191 रकबा 0.16बिस्वा, 192 रकबा 0.07बिस्वा, 197 रकबा 1.02बीघा, 198 रकबा 0.04बिस्वा, 199 रकबा 0.04बिस्वा, 200 रकबा 0.04बिस्वा, 201 रकबा 0.04बिस्वा, 202 रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 4.12 बीघा जिसके साबिक खसरा नं0 138 रकबा 4–12 बीघा वाके ग्राम चौडावता तहसील किशनगढबास के मौजूदा अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक सुब्बत के पौत्र व मृतक अब्दुल रहीम के वारिसान का 1/4 भाग तथा मृतक गाहड, मृतक दलपत, मृतक मटरू के वारिसान वादीगण 6 लगायत 19 का 1/4 हि0 तथा मृतक धोला, मृतक छोटा, मृतक बहादर व मृतक नवाज खां के वारिसान वादीगण संख्या 47 लगायत 50 का 1/4 हिस्सा तथा मृतक नजर खां पुत्र छुट्टा, मृतक सुबेदार व मृतक नसीब खां के वारिसान वादीगण संख्या 20 लगायत 46 का 1/4 हिस्से का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चाडिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0
232 / 24

दायर दिनांक
26.09.2024

निर्णय दिनांक
13.01.2025

उनवान

1. जाकर पुत्र अब्दुल रहीम।
2. सद्दाम पुत्र अब्दुल रहीम।
3. मकसूदन पुत्री अब्दुल रहीम।
4. धोली पुत्री अब्दुल रहीम।
5. फरमीना पुत्री अब्दुल रहीम।
6. जुहरू
7. आमीना (आसीना)
8. अजमेरी
9. रहीस
10. हसनदीन
11. रहमान पुत्रान मटरू।
12. मुहर खां
13. नूरदीन
14. मोहम्मद
15. रमजान पुत्रान दलपत।
16. जमील
17. छुटल्ली
18. मजहर
19. पप्पू पुत्रान दीनमोहम्मद पौत्रान दलपत।
20. रहमदीन पुत्र सुबेदार।
21. समसु
22. मुबारिक पुत्रान अब्दुल पौत्रान सुबेदार।
23. सायरा पुत्री अब्दुल पौत्री सुबेदार।
24. अनीस खां पुत्र सुभानदीन।
25. इमाम दीन पुत्र सुभानदीन।
26. सहकुल पुत्र सुभानदीन।
27. जमालुदीन पुत्र सुभानदीन।
28. इदरीस खां पुत्र सुभानदीन।
29. अनीसा पुत्री सुभानदीन।
30. बिसमिल्ला पुत्री सुभानदीन।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

31.जैकम
32.अतामोहम्मद
33.मुश्ताक खां
34.मुद्दीन खां
35.कुतुबद्दीन पुत्रान रोशन।
36.आरिफ खां
37.फारूख
38.जेद खां
39.रफीक खां
40.इमाम खं पुत्रान उमरमोहम्मद।
41.सुम्मैया
42.जायदा
43.जमरत
44.फातमा पुत्रीयान उमरमोहम्मद।
45.आसमोहम्मद
46.कुरसैद पुत्रान नसीब खां।
47.बशीर
48.असरू पुत्रान छोटा।
49.कुरसैद पुत्र नसरो।
50.मैमूना पुत्री नसरो जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास, भूमिधारी (पैरोकार सरकार) तहसील किशनगढबास जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
जेर दफा 88,89 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादीगण की ओर श्री राजेश कुमार शर्मा वकील।
प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार एवं मौका रिपोर्ट।

<u>पर्चाडिक्री</u>

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0नं0 188 रकबा 0.06बिस्वा, 189 रकबा 0.07बिस्वा, 190 रकबा 0.07बिस्वा, 191 रकबा 0.16बिस्वा, 192 रकबा 0.07बिस्वा, 197 रकबा 1.02बीघा, 198 रकबा 0.04बिस्वा, 199 रकबा 0.04बिस्वा, 200 रकबा 0.04बिस्वा, 201 रकबा 0.04बिस्वा, 202

उपखण्ड अधिकारी
(खैरथल–तिजारा)

रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 4.12 बीघा जिसके साबिक खसरा नं0 138 रकबा 4–12 बीघा वाके ग्राम चौडावता तहसील किशनगढबास के मौजूदा अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक सुब्बत के पौत्र व मृतक अब्दुल रहीम के वारिसान का 1/4 भाग तथा मृतक गाहड, मृतक दलपत, मृतक मटरू के वारिसान वादीगण 6 लगायत 19 का 1/4 हि0 तथा मृतक धोला, मृतक छोटा, मृतक बहादर व मृतक नवाज खां के वारिसान वादीगण संख्या 47 लगायत 50 का 1/4 हिस्सा तथा मृतक नजर खां पुत्र छुट्टा, मृतक सुबेदार व मृतक नसीब खां के वारिसान वादीगण संख्या 20 लगायत 46 का 1/4 हिस्से का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)